न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 97/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. लल्लूराम पुत्र देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांटान/वादी

बनाम

1 कल्लो देवी पुत्री सूरजभान जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान हाल पत्नी जशूराम जाति माली निवासी तिजारा जिला अलवर

2 कमला देवी पुत्री सूरजभान जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तह0 बहरोड जिला अलवर हाल पत्नी कृष्ण जाति माली वासी तिजारा

3 रेशमी देवी पुत्री सूरजभान जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तह0 बहरोड जिला अलवर हाल पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

4 बीरम देवी पुत्री सूरजभान जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल पत्नी रामचन्दर जाति माली निवासी नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

5 लाली देवी पुत्री सूरजभान जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर हाल पत्नी राजे श जाति माली निवासी महेन्द्रगढ हरियाणा

6 रामेश्वर पुत्र सूरजभान जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

7 छोटेलाल पुत्र देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

13।1।15

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8 उप पंजीयक बहरोड

:----- असल रेस्पो0/प्रतिवादी

9 रामनिवास पुत्र सन्तोष पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान हाल बूचेहेडा मौहल्ला कोठपूतली जिला जयपुर राजस्थान

10 रघुवीर पुत्र सन्तोष देवी पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर हाल बूचेहेडा मौ0 कोटपूतली

11 सरोज पुत्री सन्तोष देवी पुत्री देवकी जाति माली वासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर हाल बूचेहेडा मौहल्ला कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

12 बबली पुत्री सन्तोष देवी पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोड तहसील बहरोड जिला अलवर हाल बूचेहेडा मौहल्ला कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

13 भगवानदास पुत्र सन्तोष देवी पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर हाल बूचेहेडा मौहल्ला कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

14 लाली पुत्री सन्तोष देवी पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर हाल बूचेहेडा मौहल्ला कोटपूतली जिला जयपुर हाल पत्नी दीनदयाल जाति माली निवासी बस स्टैंड के पीछे, अलवर

15 लालाराम पुत्र सन्तोष देवी पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर

16 चमेली पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तह0 बहरोड जिला अलवर पत्नी रामचन्द्र जाति माली निवासी उमराव सिनेमा के पास, कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

17 मूर्ति पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तह0 बहरोड जिला अलवर हाल पत्नी कैलाशचन्द जाति माली निवासी बूढी होटल कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

18 अनारो पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तह0 बहरोड

जिला अलवर पत्नी रमेशचन्द जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर

19 लीला पुत्री देवकी जाति माली निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर हाल पत्नी रोहतास जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर

20 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड

:--- तरतीबी रेस्पो0/तर0प्रति0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 29.6.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 13.12.2019

------ --------------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 392/2015 में पारित निर्णय दिनांक 29.6.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद बाबत तकासमा अंतिम रूप से डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 3201, 3202, 3203, 3204, 3215, 3216, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3479 कुल किता 12 कुल रकबा 3.35 हेक्टेयर वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड का बटवारा कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया था । जिस वाद में तहत अदालत ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की । कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील वादीगण ने प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र एवं अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी में 1/8 हिस्सा अपीलांट लल्लूराम का व 1/8 हिस्सा सूरजभान के वारिसान का तथा 1/8 हिस्सा छोटेलाल का व 1/8 हिस्सा संतोष के वारिसान का तथा 1/8 हिस्सा प्रत्येक तरतीबी रेस्पो0

13.12.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं [illegible]
राजस्व अपील अधिकारी, [illegible]

का है । हमने उक्त आराजीयात का विधिवत तकासमा कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु तहत अदालत ने विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया । तरतीबी प्रतिवादीगण की विधिवत तामील नहीं कराई गई । तहत अदालत ने ना तो प्राथमिक डिक्री पारित की और ना ही पूर्व में कोई तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया । कुर्रे कायमी स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई । जबकि तकासमा के मामले में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये, जैसा कि आर० आर० टी० 2019 पेज 380, आर० आर० टी० 2017 पेज 689 में प्रतिपादित कियागया है । पटवारी हल्का द्वारा साजिशी तौर पर तैयार की गई है । पटवारी हल्का ने गुमराह करके अपीलांटस से हस्ताक्षर करवा लिये । कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को कोई नोटिस नहीं दिया गया । उनको मौके पर नहीं बुलाया गया । प्रकरण में दिनांक 13.7.2017 के बाद कोई तारीख पेशी तय नहीं की और दिनांक 29.6.2018 को राजस्व कैम्प मुताबिक अधिनस्थ न्यायालय की कोर्ट कैम्प लिस्ट के कोर्ट कैम्प नगरपालिका बहरोड में लगना था, लेकिन उस दिन तहत अदालत द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित किये ही कोर्ट कैम्प नगरपालिका बहरोड की बजाय ग्राम पंचायत हमींदपुर में लगाया गया और बिना पक्षकारान को सूचना दिये ही पत्रावली को राजस्व कैम्प कोर्ट हमींदपुर में तलब कर दिनांक 29.6.2018 को ही तहसीलदार बहरोड से कुर्रे रिपोर्ट प्रस्तुत करवाकर उसी दिन बेजा तौर पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया । तहत अदालत ने आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया । जबकि निर्णय में पत्रावली को राजस्व कैम्प कोर्ट दहमी में दिनांक 29.6.2018 को तलब कर निर्णय लिखाया जाना अंकित किया गया है । डिक्री में तरतीबी रेस्पो० व अपीलांट को उनके हिस्से के अनुसार रकबा नहीं नहीं दिया गया है । असल प्रतिवादीगण को पूरा हिस्सा रोड पर दे दिया गया । अपीलांट को उसका हिस्सा बहुत पीछे दिया गया है जहां रोड अथवा रास्ता नहीं है । लैंड रिकार्ड रूल्स की अनदेखी की गई है ।

4 विद्वान वकील प्रतिवादीगण रेस्पो० का कथन है कि इनका ही दावा था और दावा डिक्री हुआ है । अब इनको किस बात आपत्ति है । बटवारा में कहां गलती हुई, ये इन्होंने नहीं बताया । जो पक्षकार जहां काबिज था, उसी अनुसार रेकार्ड के आधार पर कुर्रे कायमी बनाई गई है । कैम्प में ही कुर्रे

13.12.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ...
राजस्व अपील अधिकारी, ...

कायमी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, वहां पर इन्होंने कोई आपत्ति प्रस्तुत क्यों नहीं की । जब इन्होंने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की तो यही माना जावेगा कि इनकी सहमति है । जब सहमति है तो फिर अपील किस बात की । पंचायत हैड क्वार्टर पर कैम्प आयोजित होते हैं । कैम्प की सूचना चस्पा की जाती है । उपखंड अधिकारी स्तर से भी सूचित किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में कैम्प की सूचना दी गई है । हिस्से अनुसार तकासमा किया गया है । रास्ता भी दिया गया है । पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है, सह खातेदार हैं । अन्य प्रतिवादीगण को डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है । डिक्री में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये कथनों के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया । तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 12.6.2017 के अनुसार प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करने का अंकन है । इसी दिन तहसीलदार से कुर्रे कायमी तलब करने के आदेश दिये गये थे । दिनांक 13.3.2018 की आदेशिका में कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब करने के आदेश देकर आगामी पेशी दिनांक 14.5.2018 नियत की गई थी । दिनांक 14.5.2018 को पीठासीन अधिकारी जी न्यायालय में नहीं थे । इस दिन आगामी पेशी दिनांक 19.7.2018 नियत की गई थी, परन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 29.6.2018 को पत्रावली राजस्व कैम्प में प्रस्तुत कर दी गई थी । इस आदेशिका दिनांक 29.6.2018 में तहत अदालत ने अंकित किया है कि पत्रावली राजस्व कैम्प में प्रस्तुत हुई, अवलोकन किया गया, तहसीलदार बहरोड द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाता है । इस आदेशिका से यह स्पष्ट नहीं होता है कि राजस्व कैम्प में पत्रावली प्रस्तुत करने से पूर्व पक्षकारान को सूचित किया गया था अथवा नहीं । कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त जो कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार की गई है, वह स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है, जैसा कि विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की नजीरों आर0 आर0 टी0 2017 (1) पेज 689, 2019 आर0 आर0 टी0 पेज 380 में अभिनिर्धारित किया गया है कि बटवारा के मामले में स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रे

13.12.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ...
राजस्व अपील अधिकारी ...

कायमी रिपोर्ट तैयार करेगा । इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विद्वान तहत अदालत द्वारा विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । लिहाजा इन नियमों की पालना करते हुये गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो वो विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये स्वयं तहसीलदार से उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार करवावें । तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट पर उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण पर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 13.1.2020 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.12.19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर